न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/145/2025	2025/354	18.09.2025	23.02.2026

1. मुबीन पुत्र गुलाब जाति मुसलमान निवासी ग्राम रघुनाथगढ,
2. इशाक पुत्र चांवला जाति सक्का निवासी ग्राम रघुनाथगढ,
3. जैकम पुत्र मोरमल जाति सक्का निवासी ग्राम रघुनाथगढ,
4. आसू पुत्र मोरमल जाति सक्का निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील नौगांवा जिला अलवर – राजस्थान।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बिरमू पुत्र गुच्चु जाति मेघवाल निवासी रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा
2. मनीराम पुत्र गुच्चु जाति मेघवाल निवासी रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा
3. किशोरी पुत्र गुच्चु जाति मेघवाल निवासी रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा
4. जीवन पुत्र गुच्चु जाति मेघवाल निवासी रघुनाथगढ, तहसील नौगांवा

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार नौगांवा आदेश दिनांक 07.08.2025 वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगांवा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–
01–श्री अजीत प्रकाश शर्मा –वकील अपी0
02–श्री जे सी. सतीजा –वकील रेस्पो0

–:निर्णयः–

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 07.08.2025 वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगांवा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेंटान की ओर से तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सं. 01/2025 दिनांक 05.06.2025 अन्तर्गत धारा 183–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.01 है०, 1252 रकबा 0.01 है० एवं 1253 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगावां जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थीगणों की रिकॉर्डेड खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी पर कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा और असल अप्रार्थीगण विवादित आराजी से बेवास्ता सख्स है। उपरोक्त आराजी पर मिन प्रार्थीगण आज तक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। असल अप्रार्थीगण मुंहजोर व लडाकू खूंखार प्रवृति के व्यक्ति है जो जमीनों पर अन्य दीगर व्यक्तियों के साथ मिलकर नाजायज कब्जा करते हैं तथा विवादित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। असल अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी पर एक राय होकर नाजायज कब्जा कर लिया है। प्रार्थीगण की आराजी से असल अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई संबंध व

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

सरोकार नहीं है। तथा अराल अप्रार्थीगण जो कि सामान्य वर्ग जाति से संबंध रखते हैं तथा लडाकू व खूंखार किस्म के हैं जिनको ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा प्रार्थीगण जो कि गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, प्रार्थीगण के मना करने पर अप्रार्थीगण गाली गलौच करते है व मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। दिनांक 17.03.2025 को मिन प्रार्थीगण ने असल अप्रार्थीगण से ऐसा करने के लिए मना किया तो असल अप्रार्थीगण मारपीट करने पर आमदा हो गये और प्रार्थीगण को वहां से भगा दिया और कहा कि सालों चमारों तुम दोबारा इस आराजी पर मत आ जाना वर्ना तुम्हे जान से खत्म कर इसी आराजी में गाढ दिया जावेगा और अब हम तुम्हें इस आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है प्रार्थीगण द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.01 है०, 1252 रकबा 0.0180 एवं 1253 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगावां से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजी पर अवैध कब्जा किया हुआ इत्यादि। नाजायज रूप से जिस पर हम अप्रीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के समक्ष आग्रह व निवेदन किया गया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान व अप्रार्थीगण, अपीलार्थीगण की संयुक्त अबट खरीदशुदा भूमि रही है। जिसका विक्रय पल्टू मेव द्वारा जरिये रजि० बयनामा किया जा चुका है। जिसमें 1/2 भाग प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान का व 1/2 भाग बिहारी व चांवला पुत्रान कमला का रहा है। बिहारी व चांवला द्वारा अपने हिस्से का अंतरण अपीलार्थीगण को किया जा चुका है। हम अपीलार्थीगण अपने हिस्से पर मकानात बनाकर रिहायश करते चले आ रहे है। पूर्व में विवादित भूमि को लेकर कभी कोई वाद–विवादित नही रहा है। लेकिन राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान का नाम तन्हा अमल में हो जाने के कारण प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान द्वारा गलत तथ्यों पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.08.2025 से व्यथित व पीडित होकर यह अपील पेश है।

विवादित आराजी प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान व अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण की संयुक्त खरीदशुदा आराजी है व अबट भूमि है। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा को पूर्व खातेदारा पल्टू मेव पुत्र भोबल मेव निवासी रघुनाथगढ द्वारा अपने हिस्से में से 1/2 बिहारी व चांवला पुत्रान कमला तथा शेष 1/2 हिस्सा गुव्वू को दिनांक 07.07.1973 को जरिये रजि० बयनामा के विकय किया गया। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है। आराजी खसरा नम्बरान 836, 837, 854, 863 व 866 के नये नम्बरान 1250, 1251, 1252, 1255, 1257 में परिवर्तित हो चुके है। हम अपीलार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर मकानात बनाकर परिवार सहित रिहायश करते चले आ रहे है। जिस तथ्य के बारे में अपीलार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करा दिया गया था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हम अपीलार्थीगण के तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए विवादित आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान एससी वर्ग के व्यक्ति है। इसी आधार पर प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान ने धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का बेजा लाभ प्राप्त करने के मकसद से गलत तथ्य बतलाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के समक्ष 183–बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला जाना गलत है कि एससी समुदाय की आराजी का अंतरण हर प्रकार से अनुचित व अवैध है। विवादित आराजी पूर्व में पल्टू मेव की आराजी रही है। पल्टू मेव द्वारा अपने हिस्से की आराजी को प्रार्थीगण, रेस्पोडेंटान के बुजुर्ग गुच्चु को हिस्सा 1/2 भाग व बिरी व चांवला पुत्रान कमला मेव हिस्सा 1/2 भाग इकजाई बयनामा के माध्यम से विक्रय की गई है जों पंजीबद्ध दस्तावेज है। धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केवल एससी समुदाय की भूमि का अंतरण गैर एससी/एसटी समुदाय के व्यक्ति को किये गये अंतरण पर ही लागू होता है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

तहसीलदार नौगांवा द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पारित निर्णय वस्तुतः गलत, पक्षपातपूर्ण, अपर्याप्त प्रमाणों व विधि के विरुद्ध है। उस निर्णय में हमारे वास्तविक अधिकार व रिकॉर्ड की अनदेखी की गई। साथ ही, पटवारी हल्का ने तहसीलदार के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे हम अत्यंत व्यथित हैं। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से हमारी हिस्सेदारी व बोनाफाइड परचेजर का जिक्र नहीं किया गया। जबकि हम इस आराजी के वैध मालिक हैं और इसका अधिकारिक खसरा दस्तावेज हमारे नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में केवल एससी/एसटी व्यक्तियों से संबंधित अधिकार संरक्षण की बात कही गई है। परंतु, इसका अर्थ यह नहीं कि किसी गैर एससी/एसटी को केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बेदखल कर दिया जाए। न्यायिक दृष्टि से प्रत्येक पक्ष को समान अधिकार व न्याय मिलने का अधिकार है। इस प्रकरण में हमने पूर्णतः नियमबद्ध तरीके से अपनी हिस्सेदारी अर्जित की है।

अतः अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा, जिला अलवर के आदेश दिनांक 07.08.2025 को अपास्त फरमाने की कृपा करे।

विद्वान वकील रेस्पो० ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नं. 1250 रकबा 0.01 है०, 1252 रकबा 0.0180 एवं 1253 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगावां किशोरी, जीवन, बिरजू, मनीराम पिता गुच्चू जाति मेघवाल साकेनदेह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार अनुसूचित जाति वर्ग से है। एस.सी./एस.टी. जाति वर्ग की भूमि का धारा 42 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) के तहत किसी भी प्रकार स्थान्तरण गैर एस.सी./एस.टी. यानि सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। परन्तु मौके पर उक्त आराजी पर मुबीन पुत्र गुलाम खां, ईशाक पुत्र चावला, जैकम पुत्र मोरमल, आसु पुत्र मोरमल जाति सक्का साकेनदेह द्वारा मकान बनाकर तथा रहवास कर अवैध कब्जा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के द्वारा अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट के द्वारा उक्त विवादित आराजी पर अवैध कब्जा नहीं किया गया हो या उनकी खरीदशुदा आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही हो। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.08.2025 के विरूद्व दिनांक 15.09.2025 को पेश की गयी है जो लगभग 01 माह 8 दिवस के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व गण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी आराजी खसरा नं. 1250 रकबा 0.01 है०, 1252 रकबा 0.01 एवं 1253 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगावां रेस्पोडेंट्स एवं अपीलार्थीगण की संयुक्त अबट खरीदशुदा भूमि रही है। जिसका पलटू गेव द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 07.07.1973 से 1/2 भाग रेस्पोडेंट को व 1/2 भाग बिहारी व चांवला पुत्रान कमला को अतंरण किया गया था। बिहारी व चांवला द्वारा अपने हिस्से का अंतरण अपीलार्थीगण को किया गया है जिस पर अपीलार्थीगण ने अपने हिस्से पर मकानात बनाकर रिहायश करते चले आ रहे हैं। रेस्पोडेंट्स के द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र. 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 07.08.2025 को निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मुताबिक जगाबंदी सांवत 2075–78 आराजी खरारा नं. 1250 रकबा 0.01 है०, 1252 रकबा 0.01 है0 एवं 1253 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील नौगावां किशोरी पुत्र गच्चू, जीवन पुत्र गच्चू, बिरगू पुत्र गच्चू एवं मनीराम पुत्र गच्चू जाति चमार सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। खातेदार अनुसूचित जाति वर्ग से है। एस.सी. /एस.टी. जाति वर्ग की भूमि का धारा 42 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम) के तहत किसी भी प्रकार से स्थानान्तरण गैर एस.सी./एस.टी. यानि सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी रेस्पोडेंट खातेदार काश्तकार है। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि जिससे कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 07.08.2025 में कोई त्रुटि की गई हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 07.08.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्विका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)